

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) मुकाम

जोधपुर



बनवारीलाल पुत्र श्री मंगनाराम
उम्र-42 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 11, बनाम
राणोजी का बाग, मण्डोर जोधपुर

राजकुमारी व्यास पुत्री
स्व.श्री रमेशचन्द्र व्यास
जाति ब्राह्मण निवासी 77ए, प्रथम ए
रोड, सरदारपुरा जोधपुर व अन्य

किरम मुकदमा राजस्व अपील

नं० 181

सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
03.04.2025	<p>अपीलान्त की ओर से राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी। अपील तहसीलदार जोधपुर द्वारा बंटवाडा आदेश क्रमांक/भू.अ./बंटवारा/2024/4231 दिनांक 25.06.2024 स्वीकृत किया गया को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गयी है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जावे व रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर</p>	
7-5-25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। धीमान P.O. का आज 12:15 बजे से पत्रावली पूर्व आवेज की पासना में दिनांक 19-6-25 को पेश हों। 13:00 बजे</p>	
16-5-2025	<p>पत्रावली पेश हुये अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्त से अपीलान्त की ओर से दाने पक्ष काय के मध्य आयुक्त मण्डोर से अपीलान्त को जाने से अपीलान्त को नही चलाना चाहिए को उचित पत्र प्रस्तुत कर अपील को लम्बे विज्ञापित विज्ञापित विज्ञापित जाने को विवेक किता जाया। युक्ति अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से यह अपील विज्ञापित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त लम्बे विज्ञापित स्वीकृत की जाती है। पत्रावली पेश हुये एकल नमूने से मने धरुया बाय लकमल लामिल फासिल कलक्टर ए। (कल) अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर</p>	<p> अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर</p>

